

# झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

सीएमपी संख्या 416/2019

1. महेंद्र राम
  2. बिनोद रजक
  3. कामेश्वर महतो
  4. जगजीवन राम
  5. मनराज राम
  6. भगीनाथ महतो
  7. मोहम्मद तैयब अली
  8. भूपेंद्र दास गुप्ता @भूपेंद्र गुप्ता
  9. कजरू राम @कजरू रविदास
  10. गोपाल राम
- . याचिकाकर्ता

बनाम

1. टाटा स्टील लिमिटेड के सीएमडी
  2. महाप्रबंधक, टाटा स्टील लिमिटेड
- ...विपक्षी दल

-----

कोरम: माननीया न्यायमूर्ति श्रीमती अनुभा रावत चौधरी

----

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री राहुल कमलेश, अधिवक्ता

विपक्षीगण के लिए :

----

05/17. 01. 2020 याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वत वकील उपस्थित हैं।

2. विपक्षीगण की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ।

3. याचियों के विद्वत वकील निवेदन करते हैं कि नोटिस की तामील पूरी होने के बाद भी प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए हैं। वे आगे निवेदन करते हैं कि आज भी, कोई भी प्रत्यर्थियों की ओर से पेश नहीं हो रहा है।

4. इसके बाद याचियों के विद्वत वकील प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान याचिका फर्स्ट अपील सं. 29/2009 को उसकी मूल फाइल में पुनर्स्थापना के लिए दायर की गई है, जो चूक के कारण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.04.2019 को पारित आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी। वे आगे निवेदन करते हैं कि इस सिविल विविध याचिका के पैरा 5 में अनुपस्थित होने के कारण का उल्लेख किया गया है और यह कहा गया है कि वर्तमान अपील के खारिज होने की तारीख पर, अपीलार्थी के वकील समय पर नहीं पहुंच सके। वे यह भी निवेदन करते हैं कि यदि पहली प्रथम अपील उसकी मूल फाइल में पुनर्स्थापित नहीं की जाती है, तो याचियों को अपूरणीय क्षति होगी।

5. याचिकाकर्ताओं के वकील को सुनने और पुनर्स्थापना के लिए याचिका में किए गए प्रकथनों को देखने के बाद और उसमें बताए गए कारण से संतुष्ट हो कर यह न्यायालय प्रथम अपील संख्या 29/2009 को पुनर्स्थापित करने के लिए वर्तमान याचिका को अनुमति देने के लिए इच्छुक है। तदनुसार, वर्तमान याचिका को अनुमति दी जाती है और प्रथम अपील संख्या 29/2009 को इसकी मूल फाइल में पुनः स्थापित कर दिया जाता है।

6. कार्यालय को रोस्टर के अनुसार समुचित न्यायपीठ के समक्ष प्रथम अपील संख्या 29/2009 को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

(अनुभा रावत चौधरी, न्याया0)

पंकज